भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4213
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

ओडिशा में पुरुष एवं महिला कामगार

†**4213. श्रीमती अपराजिता सारंगीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में संगठित क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 2005 से इसमें कमी हुई है, यदि हां, तो विगत वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत की कमी हुई है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) विगत 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष ओडिशा में संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे पुरुष तथा महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से कम है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ड.) संगठित क्षेत्र में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या परिणाम पाए गए है; और

(च) ओडिशा में संगठित क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कारण पाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रमबल सर्वेक्षण आयोजित किए गए। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संगठित एवं असंगठित-दोनों क्षेत्रों सहित सभी आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) उपलब्ध सीमा तक, नीचे दिए गया है:

(% में)

वर्ष		ग्रामीण		महिला	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
2004-05	ओडिशा	58.6	32.2	50.4	14.8
	अखिल भारत	54.6	32.7	54.9	16.6
2009-10	ओडिशा	57.8	24.3	56.8	11.9
	अखिल भारत	54.7	26.1	54.3	13.8
2011-12	ओडिशा	59.2	24.6	57.9	15.5
	अखिल भारत	54.3	24.8	54.6	14.7
2017-18 (पीएलएफएस)	ओडिशा	53.8	14.4	53.4	11.7
	अखिल भारत	51.7	17.5	53.0	14.2
2018-19 (पीएलएफएस)	ओडिशा	53.6	18.4	53.5	12.6
	अखिल भारत	52.1	19.0	52.7	14.5

*(टिप्पणीः *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को पूर्व के सर्वेक्षणों के साथ उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

(च) एवं (छ): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों आदि के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या **7** बजे से सुबह **6** बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह **6** बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 जो अब मजदूरी संहिता**,** 2019 में शामिल कर लिया गया है, यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****